इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—वैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ ए-3-17-2019-1-पांच (35) भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

आयुक्त, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उप-नियम (5) के साथ पठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक प्रत्येक मास के लिए उक्त नियम के प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी ऐसे मास के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।

2. प्ररुप जीएसटीआर-3ख के अनुसार कर दायित्व के निर्वहन के लिए कर संदाय: -प्ररुप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों के अधीन रहते हुए पहले पैरा में यथाविनिर्दिष्ट उस अंतिम तारीख के अपश्चात्, जिसको उससे उक्त विवरणी को देने की अपेक्षा की जाती है, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक नकद खाते या इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते में विकलन करके, उक्त अधिनियम के अधीन संदेय कर, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम के संबंध में अपने दायित्व का निर्वहन करेगा।

3. यह अधिसूचना दिनांक 07 मार्च, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

डी. पी. आहूजा, राज्य कर आयुक्त.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ. ए-3-17-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ. ए-3-17-2019-1-पांच (35), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

F A-3-17-2019-1-V(35) Bhopal, the 17th May 2019

In exercise of the powers conferred by section 168 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby specifies that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for each of the months from April, 2019 to June, 2019, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the twentieth day of the month succeeding such month.

2. **Payment of taxes for discharge of tax liability as per FORM GSTR-3B.**- Every registered person furnishing the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules shall, subject to the provisions of section 49 of the said Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the said Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger, as the case may be, not later than the last date, as specified in the first paragraph, on which he is required to furnish the said return.

3. This notification shall deemed to have come into effect from 7th March, 2019.

D.P. AHUJA, Commissioner of State tax.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.